वनमण्डलाधिकारी द्वारा, निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार स्थल निरीक्षण विवरण

उमरिया वनमण्डल के अन्तर्गत लोकनिर्माण विभाग (भ0/स0) संभाग उमरिया द्वारा प्रस्तावित करकेली–घुलघुली–रहठा–कठौतिया मार्ग उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित वनभूमि 0.7125 हे. का दिनांक 27/11/2020 मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। विवरण निम्नानुसार है –

क्र0	विवरण	स्थल निरीक्षण विवरण
1.	प्रस्तावित वनभूमि (हेक्टेयर में)।	0.7125 हे0
2.	व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वनभूमि का स्थान (अंक्षाश–देशान्तर)।	पी0एफ0 730 N 23°22'11" E 080°51'19" से N 23°21'35" E 080°51'5" तक पी0एफ0 731 N 23°21'14" E 080°51'8" से N 23°21'11" E 080°51'10" तक पी0एफ0 732 N 23°23'34" E 080°53'9" से N 23°23'28" E 080°52'46" तक आर0एफ0 412 N 23°18'7" E 080°50'58" से N 23°18'6" E 080°51'1" तक आर0एफ0 417 N 23°15'18" E 080°46'11" से N 23°14'39" E 080°46'7" तक
3.	वनभूमि की कानूनी स्थिति (आरक्षित वन/संरक्षित वन /राजस्व वनभूमि या किसी भी अन्य वनभूमि)	आरक्षित वन/संरक्षित वन
4.	प्रस्तावित वनभूमि का अस्थायी केर्न्स आदि के साथ सीमांकन किया गया	आवेदक संस्था एवं वन अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित वनभूमि का सीमांकन कर संयुक्त स्थल सत्यापन किया गया है।
5.	अतिक्रमण का कोई संकेत।	अतिक्रमण नहीं है।
6.	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वनभूमि या उससे लगे गैर वनभूमि के भीतर उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा कोई गतिविधि कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण।	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है।
7.	वनस्पति की स्थिति। साईट की गुणवत्ता। प्रजातियों की संरचना।	मिश्रित एवं सागौन प्रजाति के वन है, गुणवत्ता श्रेणी IVA एवं VB है।
8.	वन्यजीवो के दृष्टिकोण से क्षेत्र का महत्व। वन्यजीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों की अधिकता, पक्षी, सरीसृप, तितलियों और अनुसूचित वन्यप्राणी, किसी भी लुप्तप्रायः की बहुतायत)। प्रस्तावित क्षेत्र में वन्यजीवों की वर्तमान गणना।	क्षेत्र में वन्यप्राणियों की उपस्थिति न्यूनतम है।
9.	प्रस्तावित क्षेत्र में वनस्पतियों/जीवों या किसी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तन्त्र की क्षतिपूर्ति।	कोई अद्वितीय परिस्थिति तंत्र मौजूद नहीं है।
10.	प्रस्तावित क्षेत्र कार्यआयोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रबंधित है अथवा नही।	प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र आर.डी.एफ. एवं एस.सी.आई. कार्य वृत्त के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तावित क्षेत्र का महत्व।	ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व का क्षेत्र नहीं है।
12.	प्रस्तावित क्षेत्र पर व्यक्तियों/परिवारो की निर्भरता।	प्रस्तावित भूमि पर व्यक्तियों/ परिवारों की निर्भरता नहीं है।
13.	प्रस्तावित क्षेत्र से व्यक्तियों/परिवारो का विस्थापन।	विस्थापन की स्थिति नहीं है।
14.	प्रस्तावित क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियो/परिवार के लिए पुनर्वास/पुनर्स्थापन की योजना हैं। क्या विस्थापित होने वाले प्रस्ताव से व्यक्तियो में असंतोष हैं।	प्रस्तावित क्षेत्र से व्यक्तियों की असहमति के प्रकरण प्रकाश में नहीं आये है।
15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वनभूमि या गैर–वनभूमि पर हैं। वृक्षारोपण हेतु स्थल की उपयुक्तता। अगर बिगड़े वनभूमि में हैं तो कार्यआयोजना प्रावधान अनुसार विवरण। यदि वृक्षारोपण गैर वनभूमि में प्रस्तावित है तो निकटतम वनक्षेत्र से दूरी। दूरी कि0मी0 में होने कि स्थिति में पैच की संख्या।	सागौन वृक्ष 3 नग, महुआ 01 नग कुल 04 नग वृक्ष प्रभावित हो रहें है।
16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नही होना चाहिए साथ ही निकटतम संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 कि0मी0 से अधिक होनी चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नही हैं। बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र की सीमा 10 कि.मी. के बाहर है।
17.	प्रस्तावित क्षेत्र में आदिवासियों की निर्भरता। क्या इस क्षेत्र में आदिवासियों के अधिकार को मान्यता दी गई हैं।	वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी गई है।
18.	परियोजना की उपयोगिता, जिसमें परियोजना के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग शामिल हैं।	परियोजना की स्वीकृति से ग्रामीणो को आवागमन हेतु मार्ग तथा रोजगार उपलब्ध होगें।
19.	नवीनीकरण के मामले में क्या पहले की स्वीकृत आदेश में निर्धारित सभी शर्तो का अनुपालन आवेदक संस्था द्वारा किया गया हैं।	नवीन आवेदन।
20.	गैर–साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वैकल्पिक विकल्प।	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अन्य विकल्प प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
21.	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि का गैर वानिकी उद्देश्य के लिए न्यूनतम वनभूमि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।	उपयोगकर्ता एजेंसी न्यूनतम वनभूमि उपयोगिता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
22.	यह सुनिश्चित करते हुए कि वृक्षो के विकास में कोई भी गुंजाइश, प्रस्तावित क्षेत्र का व्यपवर्तन जिस उद्देश्य से किया जा रहा हैं, पर भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नही।	मार्ग उन्नयन कार्य से वृक्षो पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ने की संभावना नही हैं।
23.	किसी अन्य महत्व का मुद्दा।	निरंक
24.	परियोजना की स्वीकृति के लिए कारण सहित वनमण्डलाधिकारी की विशिष्ट सिफारिश।	परियोजना साइट स्पेस्फिक है। राष्ट्रीय विकास हित में है, 0.7125 हे0 वनभूमि मांग न्यूनतम है, जिसकी अनुशंसा की जाती है।

स्थान – उमरिया

दिनांक -

(आर.एस. सिकरवार)
भा.व.से.
वनसंरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म0प्र0)